प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6116/2006

याचिकाकर्ता - डॉ. नवल सिंह चंदेल

बनाम

उत्तरवादीगण - छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश हेतु 15 मार्च, 2007 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6116/2006

याचिकाकर्ता - डॉ. नवल सिंह चंदेल, पिता श्री एफ. एन. चंदेल, आयु लगभग 51 वर्ष, वर्तमान में जिला क्षय रोग अधिकारी, जिला क्षय रोग नियंत्रण, बिलासपुर, सिम्स, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, डी के एस भवन, मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।

2. निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, रायपुर (छत्तीसगढ़)

3. कलेक्टर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

5. डॉ. नगीना टंडन, महिला सहायक सर्जन, जिला क्षय रोग नियंत्रण, बिलासपुर (सिम्स), बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

....

उपस्थित:

श्री बी. डी. गुरु, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से ।

श्री वी. वी. एस. मूर्ति, उप-महाधिवक्ता सहित सुश्री दीपाली पांडे, पैनल अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 1 से 4 की ओर से ।

श्री पी. एस. कोशी, अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 5 की ओर से ।

....

आदेश

(दिनांक 15 मार्च, 2007 को पारित)

(1) इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने दिनांक 19.10.2006 (अनुलग्नक पी./1) के आक्षेपित आदेश की वैधता को चुनौती दी है, जिसे उत्तरवादी क्रमांक 3, कलेक्टर बिलासपुर द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत उत्तरवादी क्रमांक 5, चिकित्सा अधिकारी को याचिकाकर्ता के स्थान पर जिला क्षय रोग अधिकारी (संक्षेप में 'डी.टी.ओ.') के पद पर नियुक्त किया गया।

(2) संक्षेप में तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 6.7.2006 (अनुलग्नक पी./8) के आदेश से 1.1.2001 से प्रभावी कक्षा-I (राजपत्रित) चिकित्सा अधिकारी का वरिष्ठ वेतनमान रुपये 10000-325-15200/- प्रदान किया गया। याचिकाकर्ता ने संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (संक्षेप में 'आरएनटीसीपी') में मॉड्यूलर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। इसके आधार पर, दिनांक 2 अप्रैल 2006 (अनुलग्नक पी./3) के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को जिला क्षय रोग अधिकारी, बिलासपुर का दायित्व सौंपा गया। इसके पश्चात, दिनांक 19.10.2006 (अनुलग्नक पी./1) के आदेश द्वारा बिना कोई कारण बताए, उत्तरवादी क्रमांक 5, जो कि याचिकाकर्ता के अनुसार कक्षा-I (राजपत्रित) चिकित्सा अधिकारी का वेतनमान प्राप्त नहीं कर रही थीं, को डी.टी.ओ. के पद पर नियुक्त कर दिया गया।

(3) याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 5 की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी है कि याचिकाकर्ता के पास डी.टी.ओ. पद के लिए आवश्यक योग्यताएँ थीं, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 5 के पास आवश्यक योग्यताएँ नहीं थीं, क्योंकि वे कक्षा-II चिकित्सा अधिकारी के वेतनमान पर कार्यरत थीं।

(4) याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि स्वास्थ्य सेवाओं के संचालनालय द्वारा दिनांक 22.8.2005 (अनुलग्नक पी./5) के पत्र के अनुसार अधिकारियों की संरचना के तहत डी.टी.ओ. का वेतनमान 10,000-15,200/- रुपये निर्धारित है, जो

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

याचिकाकर्ता प्राप्त कर रहा था, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 5 8,000-13,500/- रुपये का वेतनमान प्राप्त कर रही थीं। दूसरे, राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम के अनुसार डी.टी.ओ. का पद मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या उसके समकक्ष अधिकारी के स्तर का होना चाहिए, जिसे केंद्रीय स्तर के संस्थान में आरएनटीसीपी का प्रशिक्षण प्राप्त हो। याचिकाकर्ता उक्त वेतनमान प्राप्त कर रहा था तथा आरएनटीसीपी में प्रशिक्षित भी था। उत्तरवादी क्रमांक 5, मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समकक्ष पद पर नहीं थीं, क्योंकि उनका वेतनमान याचिकाकर्ता से कम था। यह भी तर्क दिया गया कि आक्षेपित आदेश कलेक्टर द्वारा पारित किया गया, जो डी.टी.ओ. की नियुक्ति करने तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्व में पारित आदेश को निरस्त/अधिग्रहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(5) इसके विपरीत, उत्तरवादी क्रमांक 1 से 4 की ओर से उपस्थित उप महाधिवक्ता श्री वी.वी.एस. मूर्ति, सहायक अधिवक्ता सुश्री दीपाली पाण्डेय के साथ, ने तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी क्रमांक 5 को क्षय रोग के क्षेत्र में विशेष विशेषज्ञता प्राप्त है। यह स्वीकार किया गया कि उत्तरवादी क्रमांक 5 का वेतनमान याचिकाकर्ता से कम था, जिसे मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी का वेतनमान 10,000-15,200/- रुपये प्रदान किया गया है। यह भी कहा गया कि उत्तरवादी क्रमांक 5 ने भी आरएनटीसीपी में मॉड्यूलर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आगे यह तर्क दिया गया कि डी.टी.ओ. की नियुक्ति करते समय अधिकारी का समग्र प्रदर्शन भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(6) पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि डी.टी.ओ. के पद हेतु मूल योग्यता यह है कि अधिकारी मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी के स्तर का या उसके समकक्ष हो तथा आरएनटीसीपी में प्रशिक्षित हो। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी के वेतनमान पर है और यही डी.टी.ओ. पद के लिए आवश्यक योग्यता भी है। प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा यह कहना कि उत्तरवादी क्रमांक 5 अधिक योग्य हैं, निराधार है।

जब यह स्वीकार है कि याचिकाकर्ता के पास डी.टी.ओ. पद के लिए अधिक उपयुक्त योग्यता है, तो योजना के अनुसार यह उचित है कि याचिकाकर्ता जैसे वरिष्ठ अधिकारी को ही डी.टी.ओ. का दायित्व सौंपा जाए।

(7) आक्षेपित आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी पारित नहीं किया गया, क्योंकि दिनांक 2.4.2006 का आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को डी.टी.ओ. का दायित्व सौंपा गया था, राज्य शासन द्वारा पारित किया गया था और उसे कलेक्टर द्वारा प्रतिस्थापित (supersede) नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से भी दिनांक 19.10.2006 का आक्षेपित आदेश विधि विरुद्ध है।

(8) परिणामस्वरूप तथा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर, दिनांक 19.10.2006 (अनुलग्नक पी./1) का आदेश, जिसके द्वारा बिना कोई कारण बताए याचिकाकर्ता को प्रतिस्थापित कर उत्तरवादी क्रमांक 5 को डी.टी.ओ. का दायित्व सौंपा गया, विधि विरुद्ध है और इसे अभिखण्डित किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) अतः यह याचिका स्वीकार की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**